सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

124

एक सौ चौबीसवां प्रतिवेदन

[केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसायटी (सीएमएसएस), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति के 82वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई]

(03.04.**2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)**

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च 2023/ चैत्र 1945(शक)

विषय सूची

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) की संरचना

प्राक्कथन

प्रतिवेदन केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसायटी (सीएमएसएस), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति के 82वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई। 1

परिशिष्ट

परिशिष्ट-एक समिति के 82वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर। 3

परिशिष्ट-दो सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) की 29.03.2023 को हुई चौथी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण। 8

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संरचना</u>

<u>लोक सभा</u>

(2022-23)

श्री गिरीश चन्द्र - सभापति

सदस्य

2. डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क
3. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
4. श्री पल्लब लोचन दास
5. श्री चौधरी मोहन जटुआ
6. चौधरी महबूब अली कैसर
7. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
8. श्री मारगनी भरत
9. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
10. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
11. श्री टी.एन. प्रथापन
12. श्री एस. रामलिंगम
13. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
14. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
15. श्री अशोक कुमार यादव

<u>सचिवालय</u>

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री नवल के. वर्मा - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसायटी (सीएमएसएस), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति के 82वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी यह एक सौ चौबीसवां प्रतिवेदन प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. 82वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) दिनांक 26.07.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) ने 82वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई को दर्शाते हुए दिनांक 21.12.2022 को अपने उत्तर प्रस्तुत किए। समिति ने 29.03.2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

3. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए समिति उनकी सराहना करती है।

4. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली
29 मार्च 2023
चैत्र 8, 1945 (शक)

श्री गिरीश चन्द्र
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23), लोक सभा

प्रतिवेदन

केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति के 82वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई।

समिति का यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) द्वारा अपने 82वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस) के वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के मामले के संबंध में है, और जिसे 26.07.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था।

2. समिति ने अपने 82वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में तीन (03) टिप्पणियां/सिफारिशें की थीं। उक्त प्रतिवेदन की इन तीनों टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई उत्तर 21 दिसंबर, 2022 को सरकार से प्राप्त हुए थे। तदनुसार, 82वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर **परिशिष्ट** में दिया गया है।

3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) ने अपने की-गई-कार्रवाई संबंधी उत्तरों में बताया है कि उन्होंने समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन में दिए गए परामर्श पर आवश्यक कदम उठाए हैं और समिति को यह आश्वासन भी दिया है कि वर्ष 2021-22 के लिए सीएमएसएस, नई दिल्ली के अपेक्षित दस्तावेज संसद के शीतकालीन सत्र (2022) में निर्धारित समय अवधि के भीतर सभा पटल पर रखे जाएंगे।

4. तथापि, समिति यह नोट करके निराश है कि वर्ष 2021-22 के लिए सीएमएसएस, नई दिल्ली के अपेक्षित दस्तावेज संसद के शीतकालीन सत्र (2022) के दौरान लोक सभा के पटल पर नहीं रखे गए। समिति दृढ़ता से दोहराती है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग यह सुनिश्चित करे कि वर्ष 2021-22 के लिए सीएमएसएस, नई दिल्ली के अपेक्षित दस्तावेज संसद के बजट सत्र (2023) के प्रारंभ होते ही यथाशीघ्र लोक सभा के पटल पर रखे जाएं और साथ ही यह सुनिश्चित करें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से, सीएमएसएस और उनके प्रशासनिक नियंत्राधीन अन्य संगठनों/निकायों के भी अपेक्षित दस्तावेज उत्तरोत्तर वित्तीय वर्षों के 31 दिसंबर तक निश्चित रूप से सभापटल पर रखे जाएं।

नई दिल्ली
29 मार्च 2023
चैत्र 8, 1945 (शक)

श्री गिरीश चन्द्र
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

<u>परिशिष्ट</u>

(प्रतिवेदन का पैरा 02 देखिये)

समिति के 82वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर।

<u>केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस), नई दिल्ली</u>

<u>सिफारिश क्रम संख्या 20</u>

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एंड एफडब्ल्यू), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस), नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 से 2019-2020 तक के वर्षों के लिए वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने के मामले की जांच से समिति पाती है कि वर्ष 2015-2016 में सीएमएसएस के अपेक्षित दस्तावेज निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखे गए थे, उसके बाद के वर्षों के लिए अपेक्षित दस्तावेज विलम्ब से सभा पटल पर रखे गए थे। समिति यह भी नोट करती है कि वर्ष 2020-2021* के लिए सीएमएसएस के अपेक्षित दस्तावेज अब तक सभा पटल पर नहीं रखे गए हैं।

इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि एमओएच एंड एफडब्ल्यू बिना किसी और विलंब के वर्ष 2020-2021 के लिए सीएमएसएस के अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखना सुनिश्चित करे। समिति, एमओएच एंड एफडब्ल्यू और

सीएमएसएस से भविष्य में भी अपेक्षित दस्तावेजों को निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखने की सिफारिश करती है।

<u>सरकार का उत्तर</u>

वर्ष 2020-2021 के लिए सीएमएसएस के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे संसद की दोनों सभाओं अर्थात लोक सभा में 01.04.2022 और राज्य सभा में 05.04.2022 को पटल पर रखे गए थे।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखाओं की पहले ही लेखा परीक्षा कर ली गई है।

सा.का.नि. द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को 31.12.2022 तक नोडल मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा ताकि इसे 31.12.2022 को या उससे पहले सभा पटल पर रखा जा सके। प्रतिवेदन तैयार है।

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का का. ज्ञा जेड -28015/34/2021-पोर्क-आई (ईपीडब्ल्यू) दिनांक 24 नवंबर 2022)

सिफारिश क्रम संख्या 21

एमओएच एंड एफडब्ल्यू ने अपने लिखित उत्तर के माध्यम से समिति को बताया कि वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलंब का कारण कोविड लॉकडाउन/प्रतिबंध, कोविड वेव - दो के कारण कार्य का अव्यवस्थित होना और खरीद प्रक्रिया में सीएमएसएस की व्यापक भागीदारी थी। इसके अलावा, मौखिक साक्ष्य के दौरान, एमओएच एंड एफडब्ल्यू के प्रतिनिधि ने समिति को बताया कि वर्ष 2018-2019 में विलंब का कारण सीएजी से अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन देरी से प्राप्त होना था और वर्ष 2019-2020 में विलंब का कारण यह था कि उन्हें कोविड से संबंधित अतिरिक्त कार्य दिया गया था।

तथापि, समिति नोट करती है कि एमओएच एंड एफडब्ल्यू द्वारा वर्ष 2018-2019 के लिए सीएमएसएस के अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के लिए बताया गया कारण सही नहीं है, क्योंकि यह एक सुविदित तथ्य है कि भारत में, राष्ट्रव्यापी कोविड लॉकडाउन/प्रतिबंध पहली बार 25 मार्च, 2020 से लगाया गया था, जबकि वर्ष 2018-2019 के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने की नियत तिथि 31.12.2019 थी। समिति ने यह भी पाया कि वर्ष 2018-2019 के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के प्रत्येक चरण में अर्थात लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क करने, लेखाओं के संकलन, लेखापरीक्षकों को लेखे प्रस्तुत करने में बिलंब हुआ था। इसलिए, समिति महसूस करती है कि सीएमएसएस और एमओएच एंड एफडब्ल्यू द्वारा दिया गया उत्तर वास्तविक तथ्यों पर आधारित नहीं है। इसलिए, समिति, सिफारिश करती है

कि एमओएच एंड एफडब्ल्यू से समिति द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते समय अधिक सावधानी बरते।

<u>सरकार का उत्तर</u>

दिए गए परामर्श के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इसका अनुपालन किया जाएगा। प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं को नियत तिथि अर्थात् 31.12.2022 (सा.का.नि. के अनुसार) को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का का. ज्ञा जेड -28015/34/2021-पोर्क-आई (ईपीडब्ल्यू) दिनांक 24 नवंबर 2022)

<u>सिफारिश क्रम संख्या 22</u>

समिति, मौखिक साक्ष्य के दौरान मंत्रालय द्वारा बताए गए तथ्य को नोट करती है कि उन्होंने अब लेखापरीक्षा प्रक्रिया में विलंब के संबंध में सीएंडएजी कार्यालय के साथ अनुवर्ती कार्रवाई शुरू की है, और साथ ही, एमओएच एंड एफडब्ल्यू के अंतर्गत किसी अन्य संगठन के मौखिक साक्ष्य के दौरान, समिति द्वारा की गई पूर्ववर्ती सिफारिश पर कार्रवाई करते हुए मंत्रालय ने नियमित समीक्षा हेतु एक संस्थागत तंत्र भी स्थापित किया है।

समिति आशा करती है कि मंत्रालय द्वारा किए गए इन सभी प्रयासों के बाद, भविष्य में न केवल सीएमएसएस, नई दिल्ली, बल्कि एमओएच एंड एफडब्ल्यू के अंतर्गत सभी संगठनों के अपेक्षित दस्तावेजों को निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखा जाएगा।

<u>सरकार का उत्तर</u>

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, सीएजी के लिए अंतिम एसएआर दिनांक 30.09.2022 को (नियत तिथि अर्थात 31.10.2022 से एक माह पूर्व) प्राप्त हुए।

सीएमएसएस ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखाओं को मुद्रित करने की अंतिम प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया है।

प्रतिवेदन को निर्धारित तिथि अर्थात् 31.12.2022 को या उससे पहले नोडल मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का का. ज्ञा जेड -28015/34/2021-पोर्क-आई (ईपीडब्ल्यू) दिनांक 24 नवंबर 2022)

****

<u>परिशिष्ट-दो</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) की 29.03.2023 को हुई चौथी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23)</u>

समिति की बैठक गुरुवार, 29 मार्च, 2023 को 15:00 बजे से 16:00 बजे तक समिति कमरा सं. 'ग ', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री गिरीश चन्द्र - ***सभापति***

सदस्य

(लोक सभा)

2. श्री शफीकुर्रहमान बर्क

3. श्री चौधरी मोहन जटुआ

4. श्रीमती अपरूपा पोद्दार

5. श्री टी.एन. प्रथापन

सचिवालय

1.	श्री विनय कुमार मोहन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री नवल के. वर्मा	-	निदेशक
3.	श्री उत्तम चंद भारद्वाज	-	अपर निदेशक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के सदस्यों का बैठक में स्वागत किया और उन्हें कार्यसूची से अवगत कराया।

3. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित 6 प्रारूप प्रतिवेदनों और 6 कीगई कार्रवाई- प्रतिवेदनों पर विचार करने और स्वीकार करने के लिए लिया - :

1. x x x x x;
2. x x x x x;
3. x x x x x;
4. x x x x x;
5. x x x x x;
6. x x x x x;
7. केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसायटी, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति के 82वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
8. x x x x x
9. x x x x x
10. x x x x x
11. x x x x x
12. x x x x x

समिति द्वारा 6 प्रारूप प्रतिवेदनों और 6 की-गई कार्रवाई प्रतिवेदनों पर विचार किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। सभापति को समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए प्रधिकृत किया गया ।

xx xx xx xx

(बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रखी जाती है।)

इसके बाद समिति स्थगित हो गई।

****